झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

273
16/2/13

संकल्प

विषयः- **पंचायत राज संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में शक्ति एवं कार्यों का हस्तान्तरण।**

संविधान की धारा 243 (जी0) के शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों तथा जो उन्हें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सकें।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के आलोक में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कोष, कार्य और कर्मियों (Funds, Functions & Functionaries) का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय निम्न रूप से राज्य सरकार ने लिया है:-

क. कार्य (Functions) :-

i. ग्राम पंचायत विद्यालयों का एक रजिस्टर तैयार करेगी तथा उसका अनुरक्षण करेगी और प्राथमिक विद्यालयों के मानव संसाधनों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं का एक डाटाबेस तैयार करेगी। ग्राम पंचायत विद्यालय प्रबंध समिति की भागीदारी से सर्व शिक्षा अभियान योजना सहित शिक्षा योजनाएं तैयार करेगी और नए प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि का चयन करेगी तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सहयोग से उन पर भवन बनाएगी और उनका तथा विद्यमान विद्यालयों का संरक्षण करेगी। ग्राम पंचायत सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करेगी, प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने (Dropout) की घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी, विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन करेगी और छात्रवृति बांटेगी, पढ़ाने और सीखने के सामग्री का वितरण करेगी, मध्याह्न भोजन बनाने और उसे वितरित करने के काम का पर्यवेक्षण करेगी तथा प्राथमिक स्कूलों के सामाजिक ऑडिट और सर्व शिक्षा अभियान एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन करेगी।

ii. प्रखण्ड स्तरीय पंचायत समितियाँ ग्राम स्तर के आंकड़ों का संकलन करेगी एवं सर्व शिक्षा अभियान की प्रखण्ड स्तरीय योजना तैयार करेंगी। वे अपने क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगी। वे ऐसे क्षेत्रों का चयन करेंगी जहाँ विद्यालय नहीं है और वहां विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेंगी तथा

शिक्षा बीच में ही छोड़ देने वाले छात्र/छात्राओं का पहचान कर उन्हें पुनः विद्यालय वापस लायेंगी।

iii. जिला पंचायत, पंचायत समितियों के आँकड़ों को समेकित करेंगी, सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं सहित जिला योजनाएँ तैयार करेंगी, सामाजिक ऑडिट के परिणामों पर कार्रवाई करेगी और जिले में प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान तथा प्रौढ़ शिक्षा संबधी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।

iv. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण कर सकेंगे, एवं इनकी निरीक्षण टिप्पणी के आलोक में यथा आवश्यकता विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

ख. कार्मिक (Functionaries) :-

i. प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा आयोजित शिक्षण कार्यों एवं कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे एवं समिति को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

ii. जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिले की जिला परिषद् के द्वारा आयोजित शिक्षण कार्यों एवं कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षा बैठकों में भाग लेंगे एवं परिषद् को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

iii. प्रत्येक जिला परिषद् अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के कार्यों के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेज सकेगी तथा आवश्यक अनुशंसा कर सकेगी।

iv. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक के नियंत्रक प्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत होगी और वे ग्राम पंचायत के अधीन रहते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। मानव संसाधन विकास विभाग उनका संवर्ग नियंत्रक प्राधिकार बना रहेगा।

v. प्राथमिक विद्यालयों के पारा शिक्षक के नियंत्रक प्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत होंगी और सभी पारा शिक्षक ग्राम पंचायत के अधीन रहते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

vi. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा की शर्तें/लाभ वही रहेंगे, जो कि ग्राम पंचायत को उनकी सेवा सौपने से पूर्व लागू नियमों के अनुसार थे।

vii. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व मानव संसाधन विकास विभाग के संवर्ग नियंत्रक/नियुक्ति पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार पर होगा।

viii. सेवानिवृत्ति, निलंबन, त्याग पत्र आदि के परिणाम से शिक्षकों के रिक्त हुए पदों को भरने का दायित्व मानव संसाधन विकास विभाग/संबंधित प्राधिकार का होगा।

ix. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन, छुट्टियों की मंजूरी और यात्रा कार्यक्रमों का अनुमोदन ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा।

x. प्राथमिक विद्यालयों के पारा शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा किया जाएगा।

xi. ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को लघु दंड देने की अनुशंसा जिला शिक्षा अधीक्षक से कर सकेगी।

ग. कोष (Fund) :-

i. प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध समिति को हस्तांतरित कोष पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पर्यवेक्षित होंगे।

ii. स्थानांतरित कार्य कलापों/विषयों से संबंधित कार्य करते समय पंचायती राज संस्थायें झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वित्तीय नियमों और निदेशों/दिशा-निर्देशों/निर्णयों का अनुसरण करेंगी।

iii. विभाग प्रमुख/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आहरित करना जारी रखेंगे। स्थानांतरित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते पूर्वानुसार उसी खाते से आहरित किए जाते रहेंगे।

iv. प्रशासी विभाग के द्वारा untied fund के रूप में प्राथमिक शिक्षा की राज्य प्रायोजित योजनाओं के योजना बजट की राशि का न्यूनतम 5% राशि, जो निर्धारित उद्व्यय के अन्तर्गत होगी, जिला परिषद् को उपलब्ध कराई जायेगी। इस कोष से कौन-कौन सी योजनाएं ली जा सकेंगी, की रूप रेखा प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। इस राशि का उपबंध, आवंटन एवं निकासी आदि की प्रक्रिया वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित की जायेगी।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

13/2/2013

(डी.के. तिवारी)
सरकार के प्रधान सचिव

मानव संसाधन (4)

ज्ञापांक – 2/वि1–15/09.....273...../ राँची, दिनांक.....16/2/..., 2013

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 600 प्रतियाँ अविलम्ब मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

13/2/2013

(डी.के. तिवारी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 2/वि1–15/09.....273...../ राँची, दिनांक.....16/2/..., 2013

प्रतिलिपि :– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ प्रभारी परामर्शी, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप–विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय उप–शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/2/2013

(डी.के. तिवारी)
सरकार के प्रधान सचिव